A. जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

B. स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिएः–

a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

iv. **भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण**–सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–2526, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

v. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची–1(प्रपत्र–1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

vi. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2342, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

vii. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. <u>उम्र सीमा</u>–

i. **न्यूनतम आयु**–दिनांक 01.08.2022 को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष।

ii. **अधिकतम आयु**–

- सामान्य (अनारक्षित) पुरूष एवं महिला–25 (पच्चीस) वर्ष
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष)–27 (सत्ताईस) वर्ष
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)–28 (अट्ठाईस) वर्ष
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–30 (तीस) वर्ष।

iii. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण

कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

iv. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

v. अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

8. अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड–

1. पुरूष :

ऊँचाई–167.5 सेमी. (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. की शिथिलनीय)
छाती–76.5–81 से.मी.

2. **स्त्री :**

ऊँचाई–154.6 से.मी. (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. की शिथिलनीय)

दृष्टि–6/12 बिना चश्मे के दोनों आँखों से। उन्हें शारीरिक दोष, विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए।

9. <u>परीक्षा की पद्धति</u>–

सुरक्षा प्रहरी पद के लिए सर्वप्रथम एक प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) ऑफलाइन/ओ०एम०आर० (OMR) शीट के माध्यम से आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की **शारीरिक जाँच/दक्षता** परीक्षा ली जायेगी।

I. **<u>प्रारंभिक परीक्षा</u>** :–(i) इस परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी तथा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :–

(क) गणित–प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
(ख) सामान्य अध्ययन–प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(ii) <u>ओ०एम०आर० (OMR) / उत्तर पुस्तिका)</u> :– ओ०एम०आर०/उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में सभा सचिवालय के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ०एम०आर० (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा–रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए सभा सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारम्भिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी। समानीकरण की प्रक्रिया की जानकारी *<u>FAQ (Frequently Asked Questions about Equating of Scores on Multiple Forms)</u>* के अन्तर्गत देखी जा सकती है।